भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1010

13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

बैटरी निर्माण के लिए पीएलआई योजना

1010. श्री नायब सिंह सैनी:

श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कम लागत पर बैटरियों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने और सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा योजना में भाग लेने वाले विशेषरूप से छोटे शहरों में ऐसे उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की चीन पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली चीनी लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के रूप में एल्युमीनियम एयर बैटरी के निर्माण के संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग): जी हां, सरकार ने 12 मई, 2021 को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 5 वर्ष के लिए 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय से अनुमोदित किया है।

इस स्कीम का उद्देश्य भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाना है और इस स्कीम के तहत देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी व्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़ी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में एसीसी विनिर्माण पारितंत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रम की प्रकृति ऐसी है कि किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है और वर्तमान में, एसीसी कार्यक्रम के अंतर्गत रसायन लिथियम-आयन आधारित है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकी संबंधी एक उप-कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न प्रकार और स्थितियों वाली अन्य प्रौद्योगिकियों -- ठोस बैटरियाँ, एल्युमिनियम-जस्ता बैटरियाँ, सोडियम-आयन बैटरियाँ और फ्लो बैटरियाँ के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है।

*****